उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा-3-1863/दस--926-81

लखनऊ, दिनांक, 28 दिसम्बर, 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1981 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

नियम 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्रा आर्डिनरी पेंशन) रूल्स, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नियम 3 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(3-क) "परिलब्धि" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :—

(एक) इस नियमावली में यथा परिभाषित वेतन, और

(दो) महंगाई भत्ता।"

नियम 10 और 11 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियमों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे :—

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. Subject to the provision contained in the Note below Rule 11, award shall be made to the widow and children of a government servant as follows :—	10—नियम 11 के नीचे दी गई टिप्पणी में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रकार से अधिनिर्णय दिया जायेगा :—
(i) if a government servant is killed or dies of injury received as a result of special risk of office—	(एक) यदि कोई सरकारी सेवक पद के जोखिम के परिणाम स्वरूप मारा जाय या उसके कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हो जाय तो सरकारी सेवक की विधवा और उसके अवयस्क बालकों को उतनी धनराशि की पेंशन जो अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि से अधिक नहीं होगी :
(a) a gratuity of the applicable amount specified in Schedule III, and	परन्तु, इस नियम के अधीन स्वीकृत की जाने वाली पेंशन, या कुल पेंशनों के जोड़ की राशि, अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट मदों के (जिन में मूलभूत सेवा भी सम्मिलित है) होते हुए भी, मृत सरकारी सेवक के वेतन से अधिक नहीं होगी, और, यदि किसी मामले में अनुसूची तीन में यथा संगणित ऐसी पेंशनों की धनराशि मृतक के वेतन से अधिक हो जाय तो प्रत्येक पेंशन की धनराशि में ऐसी आनुपातिक कमी की जायेगी, जिससे कि वह धनराशि इसी सीमा तक हो जाय।
(b) a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III.	(दो) यदि कोई सरकारी सेवक पद के विशेष जोखिम के परिणामस्वरूप मारा जाय, या उसके कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हो जाय, तो विधवा को एक पेंशन और ऐसी आनुतोषिक
(ii) if the government servant is killed or dies of injuries received as a result of special risk of office, a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III;	

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्त 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	और पेंशन पाने के लिये पात्र कोई विधवा न हो तो अवयस्क बालकों को अनुसूची तीन-क में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि का आनुतोषिक और पेंशन/अधिनिर्णय की धनराशि विधवा को स्वीकृत की जायेगी। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाय या वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बालक ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और उसे उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित न हो या यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या उसके पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता, पेंशन पाने के हकदार अवयस्क बालकों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा :
Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in Schedule III, exceed the pay of the deceased government servant; and if in any case the sum of such pensions calculated under Schedule III exceeds, the pay of the deceased, such a *prorata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.	परन्तु अनुसूची तीन-क के स्तम्भ 2 (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस नियमावली के अनुसार औपचारिक अधिनिर्णय होने तक सरकारी सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आनुतोषिक प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्तियों को तुरन्त संवितरित कर दी जायेगी :
	परन्तु यह और कि यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिनिर्णय दिया गया हो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अधीन कोई अधिनिर्णय, या यू0 पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स या यू0 पी0 रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक, या न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन, या यू0पी0 कान्ट्रीब्युटरी प्राविडेन्ट फंड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान नहीं दिया जायगा।
NOTE—If a government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally among all the widows.	टिप्पणी :—यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन विधवा को अनुमन्य पेंशन या आनुतोषिक समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा।
11. (1) If the deceased government servant has left neither a widow nor a child, an award may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were largely dependent on the government servant for support and are in pecuniary need :	11—(1) यदि मृत सरकारी सेवक की न तो कोई विधवा और न कोई अवयस्क बालक जीवित हो तो पद के जोखिम या पद के विशेष जोखिम के संबंध में अधिनिर्णय की धनराशि उसके पिता और उसकी माता को पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से और माता पिता के न होने पर अवयस्क भाइयों और बहनों को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से, यदि वे भरण पोषण के लिये सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित रहे हों और उन्हें धन की आवश्यकता हो, दी जा सकती है :
Provided that the total amount of the awards shall not exceed one-half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 10 :	परन्तु नियम 10 के उपनियम (एक) के अधीन पद के जोखिम के संबंध में देय अधिनिर्णय की कुल धनराशि उस पेंशन के जो नियम 10 के उक्त उपनियम (एक) के अधीन विधवा को अनुमन्य होती, आधे से अधिक न होगी :

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्त 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	और पेंशन पाने के लिये पात्र कोई विधवा न हो तो अवयस्क बालकों को अनुसूची तीन-क में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि का आनुतोषिक और पेंशन/अधिनिर्णय की धनराशि विधवा को स्वीकृत की जायेगी। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाय या वह पुनर्विवाह कर ले तो अवयस्क बालक ऐसी घटना के दिनांक से ऐसी पूर्ण पेंशन पाने के हकदार होंगे जो विधवा को अनुमन्य होती और उसे उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा। यदि मृत कर्मचारी की पत्नी जीवित न हो या यदि जीवित हो किन्तु उसे आनुतोषिक का भुगतान उसकी मृत्यु या उसके पुनर्विवाह से पहले न किया गया हो तो आनुतोषिक जो विधवा को अनुमन्य होता, पेंशन पाने के हकदार अवयस्क बालकों में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा :
Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in Schedule III, exceed the pay of the deceased government servant; and if in any case the sum of such pensions calculated under Schedule III exceeds, the pay of the deceased, such a *prorata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.	परन्तु अनुसूची तीन-क के स्तम्भ 2 (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य धनराशि विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस नियमावली के अनुसार औपचारिक अधिनिर्णय होने तक सरकारी सेवक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर आनुतोषिक प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्तियों को तुरन्त संवितरित कर दी जायेगी :
	परन्तु यह और कि यदि इस उपनियम के अधीन कोई अधिनिर्णय दिया गया हो, तो उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1961 के अधीन कोई अधिनिर्णय, या यू0 पी0 लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स या यू0 पी0 रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स के अधीन कोई पारिवारिक पेंशन/आनुतोषिक, या न्यू फैमिली पेंशन स्कीम, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन, या यू0पी0 कान्ट्रीब्युटरी प्राविडेन्ट फंड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स के अधीन सरकारी अंशदान नहीं दिया जायगा।
NOTE—If a government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally among all the widows.	टिप्पणी :—यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय और वह अपने पीछे दो या अधिक विधवाओं को छोड़ जाय तो इस नियम के अधीन विधवा को अनुमन्य पेंशन या आनुतोषिक समस्त विधवाओं में बराबर-बराबर बांट दिया जायेगा।
11. (1) If the deceased government servant has left neither a widow nor a child, an award may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were largely dependent on the government servant for support and are in pecuniary need :	11—(1) यदि मृत सरकारी सेवक की न तो कोई विधवा और न कोई अवयस्क बालक जीवित हो तो पद के जोखिम या पद के विशेष जोखिम के संबंध में अधिनिर्णय की धनराशि उसके पिता और उसकी माता को पृथक-पृथक या संयुक्त रूप से और माता पिता के न होने पर अवयस्क भाइयों और बहनों को पृथक-पृथक या सामूहिक रूप से, यदि वे भरण पोषण के लिये सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित रहे हों और उन्हें धन की आवश्यकता हो, दी जा सकती है :
Provided that the total amount of the awards shall not exceed one-half of the pension that would have been admissible to the widow under rule 10 :	परन्तु नियम 10 के उपनियम (एक) के अधीन पद के जोखिम के संबंध में देय अधिनिर्णय की कुल धनराशि उस पेंशन के जो नियम 10 के उक्त उपनियम (एक) के अधीन विधवा को अनुमन्य होती, आधे से अधिक न होगी :

स्तम्भ 1 वर्तमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
Provided further that each minor brother's and sister's share shall not exceed the amount of pension specified in Schedule III for a "child who is not motherless".	परन्तु यह और कि प्रत्येक अवयस्क भाई और बहन का अंश, 'ऐसे बालक के लिए जो मातृहीन न हों', अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगा ।
(2) Any award made under sub-rule (1) of this rule, in the event of an improvement in the pecuniary circumstances of the pensioner be subject to review in such manner as the Governor may by order prescribe.	(2) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन दिये गये किसी अधिनिर्णय का पेंशनर की धन संबंधी परिस्थितियों में सुधार होने की स्थिति में, ऐसी रीति से जैसी राज्यपाल आदेश द्वारा विहित करें, पुनर्विलोकन किया जा सकेगा ।
NOTE—If any of the widows, children, father, mother or minor brothers or sisters is denied, any share in the property of the government servant under a will or deed made by him, such a person shall be ineligible to receive any award under these Rules and the benefit will pass on to the next person eligible.	टिप्पणी :—यदि विधवाओं, बालकों, पिता, माता या अवयस्क भाइयों या बहनों में से कोई भी, सरकारी सेवक द्वारा की गई वसीयत या विलेख में उसकी सम्पत्ति में किसी अंश से बंचित किया जाय तो ऐसा व्यक्ति इस नियमावली के अधीन अधिनिर्णय की कोई धनराशि पाने के लिये प नहीं होगा और लाभ दूसरे पात्र व्यक्ति को दे दिया जायेगा ।

अनुसूची तीन का प्रतिस्थापन

4—उक्त नियमावली में, अनुसची तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्—

"अनुसूची—तीन

(नियम 10)

पारिवारिक पेंशन

क—विधवा

मृत्यु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन		मासिक पेंशन
1		2
1—800 रुपये और उससे अधिक	..	वेतन का आठवां भाग किन्तु अधिकतम 200 रुपये ।
2—200 रुपये और उससे अधिक किन्तु 800 रुपये से कम		वेतन का छठा भाग किन्तु अधिकतम 100 रुपये और न्यूनतम 50 रुपये ।
3—200 रुपये से कम	..	वेतन का एक तिहाई भाग किन्तु अधिकतम 50 रुपया और न्यूनतम 10 रुपये ।

ख—बालक

मृत्यु के दिनांक को सरकारी सेवक का वेतन		प्रत्येक बालक की मासिक पेंशन	
		यदि बालक मातृहीन हो	यदि बालक मातृहीन न हो
		रुपया	रुपया
1—800 रुपये और उससे अधिक	..	40	25
2—250 रुपये और उससे अधिक किन्तु 800 रुपये से कम	..	25	13
3—250 रुपये से कम	..	वेतन का दसवां भाग किन्तु न्यूनतम 8 रुपये	वेतन का बीसवां भाग किन्तु न्यूनतम 4 रुपये"

अनुसूची तीन—क का बढ़ाया जाना

5—उक्त नियमावली में, अनुसूची तीन के पश्चात् निम्नलिखित, अनुसूची तीन—क बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"अनुसूची तीन-क

(नियम—10)

पारिवारिक आनुतोषिक और पेंशन

सरकारी सेवक का वर्ग	आनुतोषिक		पेंशन
	तात्कालिक आनुतोष के लिये	दीर्घकालीन आनुतोष के लिये	
1	2(क)	2(ख)	3
एक ..	5,000	50,000	मृत कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता, ली गई परिलब्धियों के बराबर, तत्पश्चात् पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निम्नलिखित उपधारणाओं के अधीन रहते हुए, तत्समय प्रयोज्य साधारण पेंशन नियमों के अनुसार होता :—
दो ..	3,000	40,000	
तीन ..	2,000	30,000	
चार ..	1,000	20,000	

(1) मृत कर्मचारी अधिवर्षिता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी।

(2) यदि मृत कर्मचारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की उपधारणा कर ली जायेगी।

यदि उस वेतनमान को जिसमें मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार कार्य किया उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय जिस दिनांक को वह अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की संगणना उस उपधारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी को यदि वह जीवित होता, अधिवार्षिकी के समय मिलता।"

आज्ञा से,

जे० एल० बजाज,
सचिव।

संख्या : सा-3-1863(1)/दस—926-81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

5—अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
राधा रमन सिकरोडिया,
उप सचिव।

"अनुसूची तीन-क

(नियम—10)

पारिवारिक आनुतोषिक और पेंशन

सरकारी सेवक का वर्ग	आनुतोषिक		पेंशन
	तात्कालिक आनुतोष के लिये	दीर्घकालीन आनुतोष के लिये	
1	2(क)	2(ख)	3
एक ..	5,000	50,000	मृत कर्मचारी द्वारा उस दिनांक तक जब वह अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो जाता, ली गई परिलब्धियों के बराबर, तत्पश्चात् पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी जो मृत कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निम्नलिखित उपधारणाओं के अधीन रहते हुए, तत्समय प्रयोज्य साधारण पेंशन नियमों के अनुसार होता :—
दो ..	3,000	40,000	
तीन ..	2,000	30,000	
चार ..	1,000	20,000	

(1) मृत कर्मचारी अधिवर्षिता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी।

(2) यदि मृत कर्मचारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण के सम्भाव्य दिनांक की उपधारणा कर ली जायेगी।

यदि उस वेतनमान को जिसमें मृत कर्मचारी ने अन्तिम बार कार्य किया उस दिनांक तक पुनरीक्षित कर दिया जाय जिस दिनांक को वह अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होता तो पेंशन की संगणना उस उपधारित वेतन पर की जायेगी जो मृत कर्मचारी को यदि वह जीवित होता, अधिवार्षिकी के समय मिलता।"

आज्ञा से,

जे० एल० बजाज,
सचिव।

संख्या : सा-3-1863(1)/दस—926-81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

5—अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अंग्रेजी अनुवाद सहित गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से
राधा रमन सिकरोडिया,
उप सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMAYNA) ANUBHAG-3

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. G-3-1863/X—926-81, dated December 28, 1981:

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. G-3-1863/X—926-81

Dated Lucknow, December 28, 1981

IN exericse of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Civil Services (Extraordinary Pension) Rules:

THE UTTAR PRADESH CIVIL SERVICES (EXTRAORDINARY PENSION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 1981

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Civil Services (Extraordinary Pension) (First Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from January, 1981.

Amendment of rule 3.

2. In the Uttar Pradesh Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, hereinafter referred to as the said rules , in rule 3 *after* sub-rule (3) the following new sub-rule, shall be *inserted*, namely:—

"(3-A) 'Emoluments' means—

(i) pay as defined in these rules; and

(ii) dearness allowance."

Amendment of rules 10 *and* 11.

3. In the said rules or the rules set out in Column I below, the rules as set out in Column II, shall be *substituted* :

COLUMN I	COLUMN II
Existing Rules	*Rules as hereby substituted*
10. Subject to the provision contained in the Note below rule 11, award shall be made to the widow and children of a government servant as follows:—	10. Subject to the provisions contained in the Note below rule 11, award shall be made as follows :—
(i) If a government servant is killed or dies of injury received as a result of special risk of office—	(i) If a government servant is killed or dies of injuries received as a result of risk of office, a pension to the widow and minor children of government servant of the amount which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III:
(*a*) a gratuity of the applicable amount specified in Schedule III, and	
(*b*) a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III ;	Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in Schedule III, exceed the pay of the deceased government servant, and, if in any case the sum of such pensions, calculated under Schedule III exceeds the pay of the deceased, such a *prorata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.

COLUMN I *Existing Rules*	COLUMN II *Rules as hereby substituted*
(ii) if the Government servant is killed or dies of injuries received as a result of risk of office a pension the amount of which shall not exceed the applicable amount specified in Schedule III:	(ii) If a Government servant is killed or dies of injury received as a result of special risk of office, a gratuity and pension to the widow and if there is no widow eligible to receive the gratuity and pension then to minor children of the applicable amount specified in Schedule III-A. The award shall be sanctioned to the widow. If the wife of the deceased official is not alive or dies or re-marries, the minor children shall from the date of such event be entitled to full pension which would have been admissible to the widow and it shall be equally distributed amongst them. If the deceased official is not survived by his wife or is so survived, but the gratuity has not been paid to her until she dies or re-marries, the gratuity which would have been admissible to the widow shall be equally distributed among the minor children entitled to receive pension:
Provided that the monthly pension or the sum of pensions that may be granted under this rule shall not, irrespective of the rates (including the minimum limits) specified in Schedule III, exceed the pay of the deceased government servant, and if in any case the sum of such pension calculated under Schedule III exceeds the pay of the deceased, such a *pro-rata* reduction shall be made in the amount of each individual pension as will reduce the sum to such limit.	Provided that the applicable amount specified in column 2(*a*) of Schedule III-A shall be disbursed by the Head of Department or office immediately on receipt of information of death of the government servant to the persons eligible to receive the gratuity pending a formal award in accordance with these rules:
	Provided further that no award shall be made under the Uttar Pradesh Police (Extraordinary Pension) Rules, 1961, or any family pension/gratuity under the Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules or Uttar Pradesh Retirement Benefits Rules, or family pension, under the New Family Pension Scheme, 1965, or Government Contribution under the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, be payable if an award has been made under this sub-rule.
NOTE—If a government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally among all the widows.	NOTE—If a government servant dies leaving behind two or more widows, the pension or gratuity admissible under this rule to the widow shall be divided equally among all the widows.
11. (1) If the deceased government servant has left neither a widow nor a child, an award may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were largely dependent on the government servant for support and are in pecuniary need :	11. (1) If the deceased government servant has left neither a widow nor a minor child, an award in respect of risk of office or special risk of office may be made to his father and his mother individually or jointly and in the absence of the father and the mother, to minor brothers and sisters, individually or collectively, if they were wholly dependent on the government servant for support and are in pecuniary need:

"SCHEDULE III-A

(RULE 10)

Family gratuity and pension

Class of government servant	Gratuity		Pension
	For immediate relief	For long-term relief	
1	2 (*a*)	2 (*b*)	3
I	5,000	50,000	Equal to the emoluments last drawn by the deceased official till the date he would have retired on superannuation pension. Thereafter the family pension will be equal to that amount which the deceased official would have drawn in accordance with the ordinary pension rules applicable to him at that time had he not died, subject to the following presumptions :— (1) that the deceased official would have continued to render qualifying service till the date of superannuation and that he did not get any promotion. (2) that in case the deceased official was temporary or was working in an officiating capacity, a probable date of his confirmation will be presumed. In case the scale in which the deceased official worked last is revised by the date on which he would have retired on superannuation, the pension will be calculated on the presumptive pay which the deceased official would have drawn at the time of superannuation had he been alive."
II	3,000	40,000	
III	2,000	30,000	
IV	1,000	20,000	

By order,

J. L. BAJAJ,

Sachiv.

पी०एस०ब्यू०पी०—ए० पी० 76 सा० भाषा—18-1-82—(2400)—1982—10,000 (मेक०)।